न्यायालय–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विशाल व्यास (आर.जे.एस)
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या –29ए/2022
सी.आई.एस नम्बर–253/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–04/2021, पुलिस थाना मुकुन्दगढ़
सीएनआर नंबर– RJJH140006902022

राजस्थान राज्य

.....अभियोगी

बनाम

अहमद अली पुत्र श्री लुकमान, उम्र 58 वर्ष, निवासी घोड़ीवारा खुर्द, पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड सहिंता, 1860

उपस्थितिः–

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
02. श्री राजेन्द्र बेरवाल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

:: निर्णय ::

दिनांकः–05.05.2023

न्यायालय द्वाराः–

01. अभियोजन की कहानी संक्षपे में इस प्रकार है कि परिवादी अरशद अली ने दिनांक 07.01.2021 को पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 पेश की। उक्त लिखित रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2021 को समय रात्रि 10:00 बजे के लगभग उसके माबाईल से घर पर फोन पर बात कर रहा, उनके घर पर घुसकर उसके साथ जैली से मारपीट की, जिससे उसकी आंख के उपर व अन्दर चोट आई है व मारपीट करने वालो में अहमद, लतीफ, बुलकेश, थे, जिन्होंने मिलकर एक राय होकर मारपीट की इत्यादि.....। उक्त आशय की तहरीर रिपोट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2021 अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 451, 143 भारतीय दण्ड सहिंता 1860 में दर्ज कर अनुसंधान श्री करणीराम, एच.सी.–2506, पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ के जिम्मे सौंपा। बाद अनुसंधान अभियुक्त अहमद अली के विरूद्ध धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराधों के लिये आरोप पत्र अंतर्गत **धारा 173 (2) दण्ड प्रकिया सहिंता, 1973** का न्यायालय में दिनांक 29.01.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिवक्ता परिवादी की ओर से धारा–190 दण्ड प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 19.02.2022 को प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया एवं अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा–323, 341 को **धारा 190 (1) (ख), दण्ड प्रकिया सहिंता, 1973** में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. दिनांक 19.02.2022 को **धारा 251, दण्ड प्रकिया सहिंता, 1973** के प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को धारा 323, 341 भारतीय दण्ड सहिंता 1860 के अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष ने आरोपित अपराध को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह **पी.डब्ल्यू 1** मो0 सलीम, **पीडब्ल्यू 2** तौफिक, **पीडब्ल्यू 3** ईलियाश, **पीडब्ल्यू 4** आरिफ, **पीडब्ल्यू 5** महावीर प्रसाद, **पीडब्ल्यू 6** करणीराम, **पीडब्ल्यू 7** अरशद को पेश कर परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श पी–1** पुलिस बयान गवाह ईलियाश, **प्रदर्श पी–02** नक्शा मौका, **प्रदर्श पी–03** चोट प्रतिवेदन आहत अरशद, **प्रदर्श पी–04** तहरीर रिपोट, **प्रदर्श पी–05** चाक एफ.आई.आर., **प्रदर्श पी–06** पुलिस बयान गवाह अरशद को प्रदर्शित करवाया। साक्ष्य अभियोजन दिनांक 01.11.2022 को समाप्त की गईं।

04. अभियुक्त को **धारा 313, दण्ड प्रकिया सहिंता, 1973** के प्रावधानानुसार दिनांक 17.02.2023 को परीक्षित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया। साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।

05. बहस अंतिम सुनी गई।

06. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि वर्तमान प्रकरण परिवादी पक्ष ने अभियुक्त द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है, उसकी रंजिश हेतु पेश किया है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियोजन द्व ारा प्रस्तुत गवाहों से की गई प्रतिपरीक्षा पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कथन किया कि उक्त सभी गवाह अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षा में खण्डित हो रहे हैं। स्वयं प्रकरण का आहत/परिवादी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घ ोषित हुआ है। यह मुकदमा केवल मात्र बदला लेने की नियत से परिवादी ने दर्ज करवाया है। अतः अंत में साक्ष्य के अभाव एवं संदेह से परे साबित ना होने पर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

08. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य **विचारणीय बिन्दु** निम्न हैः–

> ***(1)*** *क्या आरोपित अभियुक्त ने दिनांक 05.01.2021 को समय 10:00 बजे रात्रि या उसके लगभग वाके मौजा घोड़ीवारा खुर्द पर परिवादी अरशद को शारीरिक पीड़ा कारित करने के आशय या ज्ञान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा उसे उस दिशा में, जिसमें जाने का उनको अधिकार था, स्वेच्छया बाधा डाल जाना निवारित कर सदोष अवरोध किया?*

(2) यदि हां, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाये ?

<u>विचारणीय बिंदु का विनिश्चयः–</u>

09. विचारणीय बिन्दु संख्या–01 अभियुक्त के भाग पर नकारात्मक रूप में तय किया जाता है, जिसके कारण विचारणीय बिन्दु–02 लागू नहीं होता है।

<u>विनिश्चय का कारणः–</u>

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आगे **अधिनियम, 1872** से उल्लेखित) की धारा 102 के प्रावधानानुसार, उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पर है। आपराधिक विधि के मुख्य सिद्धांत "Presumption of innocence" के कारण अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है। उक्त भार से अपने आप को मुक्त करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 07 गवाहों को परीक्षित करवाया एवं 06 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रकरण में आयी साक्ष्य का **विश्लेषण** करने से पहले उसका **क्रमबंधन** करना आवश्यक है। अतः साक्ष्य का विश्लेषण करने से पहले उसे संक्षिप्त में यहां उल्लेखित किया जा रहा है जो इस प्रकार हैः–

11. सर्वप्रथम प्रकरण में गवाह मोहम्मद असलीम **पीडब्ल्यू 01** के रूप में परीक्षित हुआ एवं अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि उसे पडोस में शोर–शराबा की आवाज सुनाई दी तो उसने बाहर आकर देखा तो अहमद व अरशद दोनों आपस में आम रास्ते पर लड़ाई–झगड़ा कर रहे थे। वहां पर इलियास व तौफिक चोबदार भी आ गये थे। उन तीनों ने उनका बीच–बचाव किया। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि वह बाहर निकल कर देखा तो अरशद, अहमद के साथ मारपीट कर रहा था। अहमद वगैराह ने अरशद के साथ कोई मारपीट नहीं की।

12. इसके उपरांत प्रकरण में गवाह तौफिक **पीडब्ल्यू 02** के रूप में परीक्षित हुआ एवं अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि अरसद और अहमद के बीच में लड़ाई–झगड़ा हो रहा था। यह आपस में एक–दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। उसने नहीं छुड़ाया था। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह स्वीकार करता है कि अहमद अली अरशद को मार रहा था। अहमद ने अरशद के लकड़ी से मारी थी।

13. इसके उपरांत प्रकरण में गवाह ईलियास **पीडब्ल्यू 03** के रूप में परीक्षित हुआ एवं अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि उसने कोई लड़ाई–झगड़ा होते हुये नहीं देखा। उसने अहमद अली द्वारा अरशद के साथ मारपीट होते हुए नहीं देखी थी। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं **धारा–154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानानुसार** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान हुये थे, जो कि प्रदर्श पी–01 है, जिसका ए से बी व सी से डी हिस्सा उसने पुलिस को नहीं लिखाया। गवाह इस सुझाव से इन्कार करता है कि वह अहमद अली को जानने के कारण उसे बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा हो।

14. इसके उपरांत प्रकरण में गवाह आरिफ **पीडब्ल्यू 04** के रूप में परीक्षित हुआ एवं अपनी **मुख्य परीक्षा** प्रर्दश पी–02 को प्रदर्शित करवाते हुए **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसने नक्शा मौका पढा तब पुलिस वालों को बताया था कि मौके पर लड पड़े

है, वह क्यो नहीं लिखे। थाने में प्रदर्श पी–02 में हस्ताक्षर किस अधिकारी ने करवाये, उसे पता नहीं है।

15. इसके उपरांत प्रकरण में गवाह डॉ0 महावीर प्रसाद, जो कि एक चिकित्सा साक्षी है, **पीडब्ल्यू 05** के रूप में परीक्षित हुआ एवं अपनी **मुख्य परीक्षा** में प्रदर्श पी 03 को प्रदर्शित करवाते हुये **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने स्वीकार किया है कि चोट सं0–01 व 02 कठोर धरातल पर गिरने–पड़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

16. इसके बाद प्रकरण में गवाह करणीराम, जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, **पीडब्ल्यू 06** के रूप में परीक्षित हुआ जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में दस्तावेजात को प्रदर्शित कराते हुए अनुसंधान संबंधी कथन किये एवं उसके द्वारा अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर थानाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करने एवं थानाधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश करने की साक्ष्य दी है। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना के क्रॉस केस में इस केस का आहत अरशद मुलजिम है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी–02 थाने में बनाया हो एवं धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान उसने अपनी मर्जी से लिखे हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि गाली पहले अरशद ने निकाली और अहमद ने मारपीट की।

17. इसके उपरांत प्रकरण में गवाह अरशद, जो प्रकरण का परिवादी भी है, **पीडब्ल्यू 07** के रूप में परीक्षित हुआ एवं अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि उसके साथ दिनांक 05.01.2021 को रात को दस बजे उसके घर में घुसकर अहमद अली, आरिफ बुलकेश ने उसके साथ मारपीट नहीं की। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं **धारा–154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानानुसार** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान हुये थे, जो कि प्रदर्श पी–06 है, जिसका ए से बी व सी से डी हिस्सा उसने पुलिस को नहीं लिखाया। गवाह इस सुझाव से इन्कार करता है कि उसकी आंख पर चोट आई हो। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह मुलजिम से डर रहा हो और उसे बचाने के लिये झुठे बयान दे रहा हो।

18. इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य का **विश्लेषण** किया जावे तो सर्वप्रथम यह प्रकट होता है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि दोनों ही पक्षों के मध्य इस घटना को लेकर क्रोस केस दर्ज हुये हैं। प्रकरण में अभियुक्त पर धारा–323, 341 भा0द0स0 का आरोप है। उक्त आरोपित अपराधों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने जिन–जिन गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया है, उन पर विचार–विमर्श इस प्रकार है कि सर्वप्रथम पी. डब्ल्यू–01 अपनी मुख्य परीक्षा में केवल मात्र यह अंकित कर रहा है कि अहमद व अरशद दोनों आपस में लड़ाई–झगड़ा कर रहे थे। उक्त गवाह स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में अहमद द्वारा मारपीट करने के भी कथन नहीं कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह प्रतिपरीक्षा में यह भी अंकित कर रहा है कि अहमद ने अरशद के साथ कोई मारपीट नहीं की। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–02 तौफिक अपनी मुख्य परीक्षा में केवल मात्र यह अंकित कर रहा है कि अरशद और अहमद के बीच में लड़ाई–झगड़ा हो रहा था। यद्यपि उक्त गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि अहमद अली, अरशद को मार रहा था, परंतु स्वयं आहत/परिवादी अरशद की साक्ष्य का विवेचन किया जावे, जो पी.डब्ल्यू–07 के रूप में परीक्षित हुआ है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि अहमद अली ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। अर्थात् उक्त गवाह अभियोजन कहानी से विमुख होकर संदेहास्पद

स्थिति उत्पन्न करते हुए अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने के तथ्य से पूरी तरह इन्कार करता है। उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही करार दिया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–06, जिसमें घटना का सुसंगत वृतांत अंकित था, से भी इन्कारी करता है। इस प्रकार अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी उक्त गवाह से कोई ऐसा तथ्य उभरकर सामने नहीं आया है जो अभियोजन पक्ष को बल प्रदान करे एवं अभियुक्त को आरोपित अपराध में सम्मिलित करे। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–03 ईलियाश भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो लेसमात्र भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पीडब्ल्यू–04 आरिफ, पीडब्ल्यू–05 महावीर प्रसाद, पीडब्ल्यू–06 करणीराम औपचारिक गवाह है। इस प्रकार इस प्रकरण में अभिलिखित साक्ष्य आहत/परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष बतायी गयी कहानी को सम्बल प्रदान नहीं करती है और न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी के पुष्टिकारक माहौल निर्मित नहीं करती है एवं उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अभियोजन कहानी के समर्थनकारी भी सिद्ध नही होती है। वैधानिक स्थिति सुस्थापित है। आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन पक्ष को अपना मामला विरूद्ध अभियुक्त संदेह से परे साबित कररना होता है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियुक्त द्वारा सदोष अवरोध कारित करते हुए साधारण उपहति कारित करने का तथ्य अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल प्रकट होता है।

19. उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियोजन पक्ष संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

–: <u>आदेश</u> :–

20. एतद्द्वारा अभियुक्त अहमद अली पुत्र श्री लुकमान, उम्र 58 वर्ष, निवासी घ ोड़ीवारा खुर्द, पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान को आरोपित **धारा 341, 323** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त को स्वतन्त्र कर दिया जाये। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थित बाबत प्रस्तुत जमानत व मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

21. अभियुक्त की ओर से **धारा 437–ए, दण्ड प्रकिया सहिंता** के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके इस निर्णय की दिनांक से 06 माह के लिए प्रवृत बने रहेंगे। उक्त अवधि में अपील प्रस्तुत होने पर उनके उम्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा। अपील प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त अवधि के अवसान पर स्वतः ही उन्मोचित समझे जावेंगे।

22. निर्णय व आदेश आज दिनांक **05.05.2023** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(विशाल व्यास)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुंझुनू, राजस्थान